

आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

द्वारा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी नीमकाथाना (राज.)
को लक्ष्य बनाम सुकेश शर्मा

किस्म मुकदमा दावा विभाजन एवं स्वार्थ नम्बर 93/2025 सन्
त्रिषेव्यात्ता

| आदेश | कार्यवाही विवरण | अनुपालना के क्रमांक व दिनांक |
|----------|--|--------------------------------------|
| 13.06.25 | <p>दावा वादी जरिये वकील पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 27.06.25 को पेश हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्डुने)</p> <p>27/6 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित वकील वादी/प्राथी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते है तथा इस आशय के आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। फलस्वरूप प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय सर्वे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फॉर्मल नुमांर होकर नम्बर से कम हो तथा दाखील दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी</p> | <p>नुमते प्रेस महेश्वर शर्मा</p> |